प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- कुलपति,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।

2- कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,
गोमतीनगर लखनऊ।

4- निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

5- निदेशक,
सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

6- निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं
स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान/विश्वविद्यालयों के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-47/2017/913/71-2-17-48/2017, दिनांक 12 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या-53/2017/2986/71-2-17-48/2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-67/2017/3507/71-2-17-48/2017, दिनांक 20-9-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अंतर्गत कुल रू0 100,05,38,000/- (रूपया सौ करोड पांच लाख अडतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र	संस्थान/विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अमुक्त धनराशि (लाख में)
1	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	2210-05-105-03-0328-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**2570.38**
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ।	2210-05-105-03-0325-डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**1250.00**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**1000.00**
3	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**3800.00**
4	सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**65.00**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**70.00**
5	सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।	2210-05-105-03-0370-सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**250.00**
6	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटन नोएडा।	2210-05-105-03-0371-चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**300.00**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**700.00**
			योग-	**10005.38**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं सुसंगत शासनादशों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित संस्थान के निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी और इस हेतु संस्थान के निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं उत्तरदायी होगें।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या-04/2018/25(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी, (लखनऊ/इटावा/गौतमबुद्धनगर)
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।